तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
13-5-23 (हस्ताक्षर) 13/5/23	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प कोर्ट मांडल मे पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। वकील प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

(हस्ताक्षर)
सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल – भीलवाड़ा

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल – भीलवाड़ा

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 11/23 प्रा०पत्र

1– श्री नारायण S/o गणेश गीर निवासी- बावलास तहसील- माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री हजारी S/o हेमा गिर निवासी- बावलास तहसील- माण्डल [वगैरा]
(प्रतिवादी प्रा०पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 13.5.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम......बावलास......पटवार हल्का......बावलास......तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 2971/1366, 2972/1364 कुल किता......02......रकबा......1.0750......हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ......16.1.23......को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक [redacted] न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......बावलास......पटवार हल्का......बावलास......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं......2971/1366, 2972/1364 कुल किता......02......रकबा......1.0750......हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक......लेसवा को......700/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा